न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

स्टेट बनाम गुरदयाल सिह आदि

प्रकरण का प्रकार 75 एलआरएक्ट क्रमांक सन

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
11.10.2021	पत्रावली रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.03.2021 पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी / रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस करते हुए कथन कियाकि प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 27.07.2021 को सुना जाकर अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 के वारीसान को रिकार्ड पर लेने हेतु एक अवसर दिया गया था। लेकिन अपीलाण्ट ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और अपील से पहले प्रार्थना–पत्र पर सुना जावे एवं अपील अबेट की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 386, आरबीजे 2010 पेज 628 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन कियाकि इस सम्बन्ध में तहसीलदार टिब्बी को पत्र क्रमांक 8 / 28.07.2021 के द्वारा अवगत करवा दिया गया है जिसकी रसीद भी पत्रावली में प्रस्तुत की गई है मगर अभी तक तहसीलदार की तरफ से उन्हें इस सम्बन्ध में कोई सूची प्राप्त नहीं हुई एवं साथ ही निवेदन किया कि इस संबंध में एक और अवसर दिया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट के वारिसान की सूची प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना–पत्र पर पूर्व में सुनकर दिनांक 27.07.2021 को एक अवसर दिया गया था। उकसे बाद भी दिनांक 17.08.2021, 06.09.2021 13.09.2021, 24.09.2021 को बार ब[illegible]र दिया गया मगर अपीलाण्ट ने [illegible] की है। अपील सन् 2013 से विचाराधीन [illegible] 9 वर्ष हो चुके हैं। रेस्पोडेण्ट [illegible] 3 से 4 पांच वर्ष हो चुके हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आरबीजे 2017 पे 386 सुप्रिम कोर्ट में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 90	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:33:36 IST
Reason: SelfAttested

	दिन के बाद अपील स्वतः अबेट हो जाती है। इसी प्रकार आरबीजे 2010 पेज 628 सुप्रिम कोर्ट में मृत व्यक्ति के वारीसान को रिकार्ड पर लेने हतु 778 दिन बाद प्रार्थना–पत्र पेश किया। अपील अबेट मानी गई। वर्तमान प्रकरण में भी लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं मगर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के वारीसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। लिहाजा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में अपील अबेट होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।	
	11/x/21	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:36 IST
Reason: SelfAttested